प्रेस विज्ञप्ति

20.6.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय एक मनी लॉन्ड्रिंग जांच कर रहा है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि मेसर्स केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड (सीएचआईएल) के शेयर 1 मई, 2022 को ईसाप्स के रूप में बहुत कम कीमत पर जारी किए गए थे, जबकि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने इसे अस्वीकार कर दिया था। जांच के हिस्से के रूप में, सीएचआईएल के एक स्वतंत्र निदेशक श्री प्रताप वेणुगोपाल को एक सम्मन जारी किया गया था, ताकि यह समझा जा सके कि किन परिस्थितियों में कंपनी ने आईआरडीएआई द्वारा अस्वीकार किए जाने और इस संबंध में सीएचआईएल के बोर्ड में बाद में हुई चर्चाओं के बावजूद ईसाप् जारी किए हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि आईआरडीएआई ने 23.07.2024 को सीएचआईएल को उन सभी ईसाप्स को रद्द करने या निरस्त करने का निर्देश दिया जिन्हें अभी तक आवंटित नहीं किया गया है और नियामक निर्देशों का पालन न करने के लिए सीएचआईएल पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि श्री प्रताप वेणुगोपाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्हें जारी किया गया सम्मन वापस ले लिया गया है तथा उन्हें इसकी सूचना दे दी गई है। उक्त सूचना में यह भी कहा गया है कि यदि सीएचआईएल के स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनसे किसी दस्तावेज की आवश्यकता होगी तो उन्हें ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाएगा।

इसके अलावा, ईडी ने क्षेत्रीय संरचनाओं के मार्गदर्शन के लिए एक परिपत्र भी जारी किया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 132 का उल्लंघन करने वाले किसी भी अधिवक्ता को कोई समन जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, यदि बीएसए, 2023 की धारा 132 के प्रावधान में उल्लिखित अपवादों के तहत कोई समन जारी करने की आवश्यकता है, तो उसे केवल निदेशक, ईडी की पूर्व स्वीकृति से ही जारी किया जाएगा।